

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 2192/2015
पूरनसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक: 16.09.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री एस एस नरूका, अधिवक्ता-याची की ओर से।
श्री निखिलेश कटारा, अधिवक्ता-अयाची की ओर से।
श्री अल्लादीन खान, लोक अभियोजक।

लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान पत्रावली तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ दिनांक 29.09.2016 को न्यायालय में उपस्थित रखें।

प्रकरण दिनांक 29.09.2016 को पुनः सूचीबद्ध किया जावे, तब तक पूर्व अन्तरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति